



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2056]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 25, 2017/श्रावण 3, 1939

No. 2056]

NEW DELHI, TUESDAY, JULY 25, 2017/SRAVANA 3, 1939

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जुलाई, 2017

(आयकर)

का.आ. 2321(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 120 की उपधारा (1) और (2) के साथ पठित काले धन (अधोषित आय तथा परिसंपत्तियों एवं कर अधिरोपण (अधिनियम, 2015 (2015 का 22) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड-3, उपखंड (ii) में दिनांक 16 मई, 2017 को प्रकाशित भारत सरकार, राजस्व विभाग, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की दिनांक 16 मई, 2017 की अधिसूचना संख्या का.आ.1590(अ) में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :-

(i) क्रम सं. 11, कालम (6) (क) में क्रम संख्या (xx) से (xxv) तक हुई निम्नलिखित प्रविष्टियों को समाप्त किया जाएगा, अर्थात् :-

“(xx) पिथौरागढ़

(xxi) उधम सिंह नगर

(xxii) बागेश्वर

(xxiii) नैनीताल

(xxiv) अल्मोड़ा

(xxv) चम्पावत”

(ख) क्रम सं. “(xxxvii)” के बाद निम्नलिखित क्रम संख्याओं को जोड़ा जाएगा, अर्थात् :-

“(xxxviii)	पिथौरागढ़
(xxxix)	उधम सिंह नगर
(xl)	बागेश्वर
(xli)	नैनीताल
(xlii)	अल्मोड़ा
(xlili)	चम्पावत”

(ii) क्रम सं. 14 के प्रति कालम (6) में “प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, पूणे” के बाद “मुख्य आयकर आयुक्त, पूणे” शब्दों को जोड़ा जाएगा।

[अधिसूचना संख्या 72/2017/ फा.सं.187/13/2015-(आईटीए-1)]

दीपशिखा शर्मा, निदेशक